फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कंकुबाई — **विपक्षी : श्री अम्बादास**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 197/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.11.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया हैं। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता शंकरदास पिता फतेहदास के नाम दर्ज थी। शंकरदास के वारिस वादीया कंकुबाई एवं प्रतिवादी सं. 1 अम्बादास थें। शंकरदास की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 ने अपने आप को शंकरदास का एकमात्र वारिस बताते हुए सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली एवं तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 को दान कर दी जो नामान्तरकरण सं. 699 जमाबन्दी प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना जाहिर आया हैं। वादीयां द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है वादीयां द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पीडब्ल्यू–1 श्रीमती कंकुबाई, पीडब्ल्यू–2 श्री फतहसिंह का पेश किया एवं दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2022 से 2025, मिलान खसरा पत्रक सम्वत् 2023 प्रदर्श 3, सजरा खानदान असल प्रदर्श 4 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 4ए पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श 4 सजरे के अवलोकन से वादीयां कंकुबाई, शंकरदास की पुत्री होकर कंकुबाई व अम्बादास वारिस होना जाहिर होता हैं। भूमि पूर्व में शंकरदास पिता फतेहदास के नाम पर दर्ज थी जो दस्तावेज प्रदर्श 3 से स्पष्ट होता हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होने से उक्त भूमि में वादीयां का जन्म से अधिकार निहित हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा उपस्थित होकर वादीया के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादीयां के वाद को बल मिलता हैं। अतः उक्त भूमि में वादीयां अपने हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादीयां स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1277, 1278, 883, 884, 932, 933, 934 किता 7 रकबा 3.2779 हेक्टेयर भूमि में वादीयां को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से क[illegible]

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर [illegible]नाया [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 197/21 (वाद) GCMS No. : 2021/409

उनवान

1. श्रीमती कंकुबाई पुत्री स्व. शंकरदास पत्नी भुरदास वैरागी निवासी विकरणी हाल गोटीपा तह. वल्लभनगर।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री अम्बादास पिता स्व. शंकरदास वैरागी निवासी विकरणी तह. मावली।
2. श्री निर्मलकुमार पिता सोहनलाल वैष्णव निवासी विकरणी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीयां स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1277, 1278, 883, 884, 932, 933, 934 किता 7 रकबा 3. 2779 हेक्टेयर भूमि में वादीयां को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.11.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:05 IST
Reason: SelfAttested